



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 163 राँची, सोमवार, 29 फाल्गुन, 1938 (श०)
20 मार्च, 2017 (ई०)

परिवहन विभाग

7 मार्च, 2017

संख्या- परि०वि०(स.सु.)-04/2016/433--

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।

विषय: सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु Lead Agency गठित करने के निमित्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में ।

द्वारा:- वित्त विभाग, झारखण्ड राँची ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु परिवहन विभाग के अधीन Lead Agency गठित करने के निमित्त निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान/ ग्रेड पे
1	2	3	4
1	संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)	01 (एक)	15600-39100 GP-6600
2	कार्यपालक अभियंता (पथ निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर)	01 (एक)	15600-39100 GP-6600
3	अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी (गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति पर)	01 (एक)	9300-34800 GP-5400
4	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर)	01 (एक)	15600-39100 GP-7600
5	DEO/DSE (शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर)	01 (एक)	9300-34800 GP-4200
6	अवर सचिव	01 (एक)	15600-39100 GP-6600
7	प्रशाखा पदाधिकारी	01 (एक)	9300-34800 GP-4800
8	संयुक्त परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव	01 (एक)	9300-34800 GP-4200
9	सहायक	04 (चार)	9300-34800 GP-4600
10	कम्प्यूटर ऑपरेटर (बाह्य स्रोत से)	04 (चार)	18190 (Per operator)
11	चालक (दैनिक पारिश्रमिकी पर बाह्य स्रोत से)	02 (दो)	9754 (Per Head)
12	आदेशपाल (दैनिक पारिश्रमिकी पर बाह्य स्रोत से)	02 (दो)	8519 (Per Head)

- उपर्युक्त पदों के अनुसार गठित Lead Agency विशेष रूप से सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों/मामलों पर ही कार्यों का निष्पादन करेगी। यह एजेन्सी सड़क सुरक्षा परिषद् से संबंधित विभागों एवं अन्य हितधारकों तथा राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित क्रियाकलापों के बीच समन्वय स्थापित करने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने इत्यादि का कार्य करेगी।
- Lead Agency** द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य किए जाएंगे-
(क) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के लिए सचिवालय/निदेशालय की तरह कार्य करना, परिषद् की बैठकों का आयोजन करना, कार्यवाही तैयार कर निर्गत करना एवं संबंधित विभागों द्वारा परिषद् के निर्णयों/निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी/अनुश्रवण करना।

(ख) राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा Supreme Court Committee on Road Safety से समय-समय पर निर्गत निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समन्वय स्थापित कर ससमय अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना ।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।

(घ) राज्य द्वारा सड़क दुर्घटनाओं एवं इसमें होने वाली मौतों में कमी लाने हेतु निर्धारित किए गये वार्षिक लक्ष्यों को अधिसूचित करना ।

(ङ.) सड़क दुर्घटनाओं के नियमित आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना एवं क्षेत्रों/सड़क के हिस्सों को चिन्हित करने तथा सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का श्रेणीकरण करने आदि हेतु आँकड़ों का विश्लेषण करना ।

(च) झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2016 के अधीन गठित कोष की प्रबंधन समिति के निर्णय के आलोक में सड़क सुरक्षा निधि का प्रभावी प्रबंधन ।

4. सृजित पदों पर नई नियुक्ति नहीं की जायेगी अपितु संबंधित संवर्गीय पदों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन पदों पर पदस्थापन किया जाएगा । अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान का वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा । प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से पदस्थापन वाले पदों (क्रमांक 1, 6, 7, 8 एवं 9) तथा अन्य पदों (क्रमांक 10, 11 एवं 12) पर पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान परिवहन विभाग, झारखण्ड के संगत स्थापना शीर्ष से किया जाएगा। Lead Agency के गठन में प्रस्तावित पदों पर वार्षिक अनुमानित व्यय रू० 1,08,41,268 (एक करोड़ आठ लाख एकतालीस हजार दो सौ अरसठ) रूपये मात्र होगी (परिशिष्ट 'क') ।
5. पदों के सृजन के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 21 फरवरी, 2017 में मद संख्या-30 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

ह०/(अस्पष्ट),
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग ।
